अधिकारी

नंबर यालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

21/138/2 ....

तारीख रजू..........................

रामेश्वर **बनाम** हरी वगैरस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतःअप्रार्थीगण जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0. नम्बर 971,वाके ग्राम गहलावता तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति वनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 20.09.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 20.09.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
20/9/21	[illegible] .... पत्रावली दिनांक 24/11/21 को पेश हो।	
24/11/21	पत्रावली (248) कम्प कोर्ट में पेश हुई पक्षकारान........ .... नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 12/1/22 को न्यायालय हाजा में पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज़	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/3/23	वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये वकील व इसके प्रार्थी को बार-2 आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आया अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम पैरवी वकील व प्रार्थी के अदम पैरवी - अदम हाजरी में इस्तगासा पर खारिज किया जाता है पत्रावली मिसल शुमार होकर मूल वाद के साथ सलंग्न हो सुनाया SDM उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज०	